उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 100–अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2012–36–विविध/2ब/2008 दिनांकः 01 नवम्बर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर नियुक्ति हेतु स्तम्भ संख्या–4 के अनुसार निगम को आवंटित किया जाता है:–

क0 सं0	नाम/ अभि0सं0/गृह जनपद	सहायक अभियन्ता पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आवंटित निगम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जमील अहमद खान 98113/गोरखपुर	सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन उपखण्ड, अलीगढ़।	उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– **निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ, का यह दायित्व होगा कि वे आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।**

4– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि प्रोन्नत अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कारपोरेशन के ज्ञापांक 2900–प्रशि0–10/पाकालि दिनांक 23.12.03 के प्राविधानानुसार उनके द्वारा अधिशासी अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्य अभियन्ता, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कराया जायेगा जिसमें इनका भाग लेना अनिवार्य होगा।

6– उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय।

7– उपरोक्त सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता (वैद्युत एवं यान्त्रिकी) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारी की किसी कारणवश उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तन/पदच्युत के फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी को उनके मूल पद सहायक अभियन्ता पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्याः 100(1)अ0प्र0(2ब)/पा0का0लि0/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, आगरा/मध्यान्चल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमान्चल, मेरठ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रान्समिशन का0लि0।
4– मुख्य अभियन्ता, कम्प्यूटर इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
7– अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, कमरा नं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ।
8– अनु सचिव (गोपन)/(प्रशिक्षण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9– सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

01/11/2012

(सत्यानन्द दीक्षित)
उप सचिव